

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 194/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
जीयाराम पुत्र कोहलाराम वयस्क जातियान-जाट, निवासी-बिलासर तहशील-सिणधरी, जिला-बालोतरा		1. गुणेशाराम पुत्र केसाराम वयस्क 2. पूराराम पुत्र केसाराम वयस्क 3. गीरोदेवी पत्नि भीयाराम वयस्क 4. लादू पत्नि केसाराम वयस्क 5. केवलराम पुत्र मानाराम वयस्क 6. मेगाराम पुत्र मानाराम वयस्क 7. रूपाराम पुत्र मानाराम वयस्क 8. दग्गी पत्नि मानाराम वयस्क 9. केहराराम पुत्र नरसींगाराम वयस्क 10. गंगाराम पुत्र नरसींगाराम वयस्क 11. दलाराम पुत्र नरसींगाराम वयस्क 12. नारणाराम पुत्र नरसींगाराम वयस्क 13. मांगाराम पुत्र नरसींगाराम वयस्क 14. वीरमाराम पुत्र नरसींगाराम वयस्क 15. राणाराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क 16. केहराराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क 17. लालाराम पुत्र दुर्गाराम वयस्क 18. कल्पना पुत्री दुर्गाराम वयस्क 19. गेरोदेवी पत्नि दुर्गाराम वयस्क जातियान-जाट, निवासी-बिलासर तहशील-सिणधरी, जिला-बालोतरा 20. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक, शाखा सिणधरी 21. तहशीलदार सिणधरी



राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री पाबूराम वेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 18.03.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 189/67 व 197/69 रकबा 1.6405, 0.6427 हैक्टेयर मौजा विलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत खसरा संख्या 189/67 व 197/69 रकबा 1.6405, 0.6427 हैक्टेयर मौजा विलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 189/67 व 197/69 रकबा 1.6405, 0.6427 हैक्टेयर मौजा विलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत खसरा संख्या 189/67 व 197/69 रकबा 1.6405, 0.6427 हैक्टेयर मौजा विलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिपेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया खेत खसरा संख्या 189/67 व 197/69 रकबा 1.6405, 0.6427 हैक्टैयर मौजा बिलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदा है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामौली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 189/67 व 197/69 रकबा 1.6405, 0.6427 हैक्टैयर मौजा बिलासर पटवार हल्का कमठाई तहसील सिणधरी जिला बालोतरा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
आदेश आज दिनांक 18.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी